न्यायालय [illegible] श्री हीरालाल वर्मा आर ए एस उपखण्ड
अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां राज. राजस्थान
प्रकरण सं. 120/15 प्रा. पत्र
दायरा दिनांक :- 26-11-2015
निर्णय दिनांक :- 31-7-17

उनवान

पुष्पादेवी पत्नी मांगीलाल जाति लोधा निवासी हरनावदाशाहजी
तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1- मोतीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी हरनावदाशाहजी
2- कालूराम पुत्र हीरालाल जाति लोधा
3- रामविलास पुत्र हीरालाल जाति लोधा नि. टिकोड़ा तह. छीपाबड़ौद
4- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

प्रार्थना पत्र धारा 251(A) RTA
निर्णय दिनांक 31-7-17

उपस्थित अभिभाषक 1- श्री [illegible] मालव - अभिभाषक प्रार्थिया
2- श्री राजकुमार वैष्णव - [illegible] अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश कि[या] गया कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में स्थित ग्राम हरनावदाशाह[जी] तहसील छीपाबड़ौद में आराजी ख.नं. 1282 रकबा 03 बिस्वा, ख.नं. 1289 रकबा 03 बिस्वा में प्लाट, ख.नं. 2040 रकबा 1.05 बीघा स्थित है। उक्त आराजी ख.नं. 2040 पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है औ[र] प्रार्थिया को स्थाई रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थिया की खातेदारी की उक्त आराजी ख.नं. 2040 पर आने जाने के लिए ख.नं. 2035/2 की मेड व ख.नं. 2035/1 की मेड पर होकर ख.नं. 2040 में आने जा[ने] के लिए 14 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। उक्त स्थान के अल[ावा] प्रार्थिया को अपने खातेदारी की आराजी पर आने जाने का अन्य को[ई] रास्ता नहीं है। आराजी ख.नं. 2035/1 के खातेदारी अप्रार्थी क्र. 2 व [illegible] तथा ख.नं. 2035/2 के खातेदारी अप्रार्थी क्र. 1 है। ख.नं. 2035/1 व [illegible]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

2035/2 की मेंड पर होकर 14 फुट चौड़े रास्ते की स्वीकृति, गाड़ी बैल, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए प्रार्थिया को आवश्यकता है। प्रार्थिया उक्त 14 फुट चौड़ाई की आराजी की डी.एल.सी. रेट से अप्रार्थी गण को मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थिया अपनी खातेदारी की आराजी में खेती नहीं कर सकती है जिससे प्रार्थिया को अपरिमित हानि हो रही है। प्रार्थिया ने दिनांक 1-10-2015 को अप्रार्थीगण से उक्त स्थान पर होकर रास्ता देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्याया. में पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी गण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर गया। अप्रार्थी क्र. 1 ता 5 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थिया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम हरनावदाशाहजी सम्वत 2071-74 खाता नं. 392, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाता नं. 362, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाता नं. 239, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रार्थना पत्र मेरे खेत में से रास्ता नहीं देने बाबत पेश किया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है ग्राम हरनावदाशाहजी में प्रार्थिया पुष्पा बाई के खेत की आराजी 1282, 1289, व 2040 स्थित है ख.नं. 2040 की आराजी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी नोरतलाल के खेत की आराजी पर होकर रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। मेरे खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। रास्ता दिलाया जावे। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि ख.नं. 537 में होकर सरकारी रास्ता दिया जाना उचित बताया व उसका फोटोग्राफ भी पेश किया। मैं डी.एल.सी. रेट से राशि जमा कराने को तैयार हूँ तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम किया जावे, राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। डी.एल.सी. रेट से नियमानुसार व राशि जमा कराने को तैयार है उक्त रास्ते के अभाव में, मैं खातेदारी की आराजी को काश्त नहीं कर सकता जिससे अपरिमित हानि हो रही है। नकल जमाबंदी पेश की है। तहसीलदार की रिपोर्ट क्र.नं. 537 भी संलग्न है उक्त अनुसार नक्शे की नकल भी पेश है। अतः उक्तानुसार रास्ता कायम किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि इन्होंने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें ख.नं. 2035/1 व ख.नं. 2035/2 से रास्ते की मांग की है जिसके लिए जवाब प्रा.पत्र में

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

(6)

आदेश दिया जाकर - पारित है

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना दर्शाते हुए ग्राम कुलथली उर्फ कुशीवाड़ी के ख.नं. 537 रकबा 1.13 बीघा की दक्षिणी मेड पर होकर प्रस्तावित 12 फुट चौड़ा रास्ता जिसका क्षेत्रफल 2472 वर्गफुट सार्वजनिक रास्ता कायम करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि प्रार्थिया प्रभावित उक्त खातेदार को देय हो गई कृषि भूमि की डी एल सी दर का दो गुना राशि नकद में तहसीलदार छीपाबड़ौद के कार्यालय में अमानत जमा करावे। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थिया द्वारा जमा कराई गई राशि अप्रार्थी खातेदार मोतीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी हरनावदाशाहजी को जरिये चेक हस्तांतरित कर भुगतान की जावे ख.नं. 537 की दक्षिणी मेड पर 12 फुट चौड़ा रास्ता क्षेत्रफल 2472 का ~~आम~~ राजस्व रिकार्ड में जरिये रास्ता दर्ज कर अमल दरामद किया जावे इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे यदि अप्रार्थी मोतीलाल जमा शुदा राशि ~~आम~~ बावजूद सूचना प्राप्त नहीं करता है तो तहसील कार्यालय के राजकोष में अमानत जमा रखी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छी.